पंजाब राज्य व अन्य

बनाम

हरविन्दर सिंह

(सिविल अपील संख्या 6421/2003 में अन्तर्वर्ती आवेदन संख्या-1/2007)

फरवरी 22, 2008

(एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्ति)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 21 - निर्णित राशि पर दिलाया गया ब्याज - निष्पादन न्यायालय द्वारा - आज्ञप्ति ऐसा अनुदान नहीं सुझाती - दिलाया गया ब्याज उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया - उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकार - पुनर्विचार हेतु आवेदन क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रभावित पक्ष को सुने बिना दिया गया - निर्णितः मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं, चूॅकि निष्पादन न्यायालय द्वारा ऐसा ब्याज दिलाया जाना अनुज्ञेय नहीं।

प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादन कार्यवाही के दौरान आज्ञप्ति की दिनांक से निर्णित राशि पर ब्याज दिलाने की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करते हुये उक्त आवेदन स्वीकार किया गया कि यद्यपि आज्ञप्ति से ऐसा दर्शित नहीं होता फिर भी निष्पादन

न्यायालय ब्याज दिला सकता हैं। आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में बरकरार रखा गया। इस न्यायालय द्वारा अपील में निष्पादन न्यायालय के ब्याज दिलाने का आदेश अपास्त किया गया। अतः प्रत्यर्थी द्वारा यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वह बीमारी के कारण इस न्यायालय के समक्ष अपील कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सका और इस कारण से आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित किया गया।

आवेदन को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा निर्धारित किया-

1. यदि आज्ञप्ति पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसा ब्याज नहीं दिलाया गया हैं तो निष्पादन न्यायालय भी ऐसा ब्याज नहीं दिला सकता। विचारण न्यायालय का फैसला ऐसे निर्णय पर आधारित था जो कि उचित व्याख्या/कानून नहीं बताता। उक्त दृष्टिकोण से विचारण न्यायालय का आदेश प्रत्यक्षतः गलत था और उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण में उसकी पुष्टि का आदेश भी गलत हैं और इसी कारण से इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपास्त किया गया। (पैरा 4 और 5) (327-डी, ई ; 329-सी)

2. एक शिकायत की गई कि उसे नहीं सुना गया और निर्णय उसकी पीठ पीछे पारित किया गया - कि आवेदक - प्रत्यर्थी को विस्तारपूर्वक सुना गया - इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश का इसी

न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना कतई आवश्यक नहीं हैं। (पैरा 6) (329-डी, ई)

रामेश्वर दास गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (1996)5 एस सी सी 728- निर्भर किया गया।

कृष्ण मुरारी लाल सहगल बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1977 सुप्रीम कोर्ट 1233- भिन्न मत

पंजाब राज्य बनाम राधाराम व अन्य 1990(2) एस एल आर 588 ; राधाराम बनाम नगरपालिका समिति बरनाला 1983 पी एल आर 21- अस्वीकार किया गया।

सिविल अपील संख्या 6421/2003 में अन्तर्वर्ती आवेदन संख्या-1/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ की पुनरीक्षण याचिका संख्या-2001 की 178 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 12.01.2002 के विरूद्ध।

कुलदीप सिंह, आर.के. पाण्डे, टी.पी. मिश्रा और अजयपाल, अपीलार्थी की ओर से।

हरविन्दर सिंह (प्रत्यर्थी स्वयं)

न्यायालय का आदेश वी.एस. सिरपुरकर न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया,

1. यह अन्तर्वर्ती आवेदन दीवानी अपील संख्या 2003 की 6421 में, जिसका निस्तारण पहले इस न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें न्यायमूर्ति एस.राजेन्द्र बाबू (तत्समय माननीय महोदय) और न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर शामिल थे। पंजाब राज्य द्वारा दायर उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया

"अनुमति दी गई।'

रामेश्वर दास गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [(1996)5 एस सी सी 728] में इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में, निष्पादन न्यायालय का ब्याज दिलाने का आदेश हटाया जाता है और अन्य के संबंध में निष्पादन न्यायालय का आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया, बरकरार रखा जाता है। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती हैं।"

यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरूद्ध दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता में राज्य तथा उसके तीन अन्य अधिकारियों द्वारा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), लुधियाना के आदेश के विरूद्ध दायर पुनरीक्षण

याचिका को खारिज किया गया। विचारण न्यायालय ने आवेदक जो कि यहां हरविन्दर सिंह है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अपने आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। अपने आवेदन में, जो कि निष्पादन के समय दायर किया गया, आवेदक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि आज्ञप्ति धारक के रूप में उसे देय शुद्ध राशि रूपया 4550/- है और वह आज्ञप्ति की तारीख से तावसूली रकम तक उस पर ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकारी हैं। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने देखा कि आज्ञप्ति 27.11.1990 को पारित की गई हैं परन्तु राहत खंड में ब्याज संबंधी कोई उल्लेख मौजूद नहीं हैं। विचारण न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम राधाराम व अन्य [1990 (2) एस एल आर 588] मामले में उद्धृत निर्णय पर निर्भर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि निष्पादन न्यायालय को आज्ञप्ति पारित करने की दिनांक से राशि वसूल हो जाने तक उक्त राशि पर ब्याज दिलाने की शक्ति प्राप्त हैं, यद्यपि आज्ञप्ति में ऐसे ब्याज का उल्लेख न हो। परिणामतः विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति की तारीख से राशि वसूल हो जाने तक 12% ब्याज दिलाया गया। इस प्रकार निष्पादन का आवेदन स्वीकार किया गया।

2. जैसा कि पूर्व में बताया गया है, इस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भिकतः खारिज कर दिया गया।

3. जब यह मामला राज्य और उसके तीन अन्य अधिकारियों की पहल पर इस न्यायालय के समक्ष आया, तो उसे पूर्वोक्त आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया था। इस पर आवेदक ने यह आवेदन इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करने से पहले आवेदक - प्रत्यर्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और आदेश सही नहीं था, क्योंकि बकाया पर ब्याज के संबंध में और भी तर्क योग्य बिन्दु थे। यह बताया गया कि यद्यपि आवेदक दीवानी अपील संख्या 6421 वर्ष 2003 में प्रत्यर्थी था, परन्तु वह किसी बीमारी की वजह ससे उपस्थित नहीं हो सका/हुआ। अतः न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त वर्णित आदेश दिनांक 14.08.2003 के आधार पर व्यथित है। आवेदन पर राज्य सरकार को सूचना पत्र जारी किया गया और पक्षकारों को हमारे द्वारा सुना गया।

4. आवेदन - प्रत्यर्थी ने स्वयं तर्क प्रस्तुत कर हमारे समक्ष कथन किया कि इससे पहले भी कुछ अवसरों पर इस न्यायालय ने निष्पादन के दौरान ब्याज दिलवाया हैं। आवेदक - प्रत्यर्थी द्वारा, इस तर्क के समर्थन में कि यद्यपि डिक्री में ब्याज का उल्लेख/कथन न भी हो तो भी निष्पादन न्यायालय ब्याज दिला सकता हैं, कुछ आदेश हमारे समक्ष पेश किये, जिनमें इस न्यायालय द्वारा पारित दीवानी विविध याचिका संख्या 1979 की 270 दिनांक 6.2.1979 (कृष्ण मुरारी लाल सहगल बनाम पंजाब राज्य),

दीवानी विविध याचिका संख्या 1981 की 19534-35 अन्तर्गत दीवानी अपील संख्या 1969 की 1298-99 दिनांकित 9.11.1981 (कृष्ण मुरारी लाल सहगल बनाम पंजाब राज्य) साथ ही दीवानी विविध संख्या 1983 की 36232 अंतर्गत दीवानी अपील संख्या 1978 की 1390 दिनांकित 13.9.1984 (बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ व अन्य) में पारित आदेश।

हमने सभी आदेशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इनमें से कोई भी आदेश ब्याज संबंधी विवाद पर लागू नहीं होता। उपरोक्त आदेशों में से किसी से भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस न्यायालय ने यह मत प्रकट किया हो कि निष्पादन न्यायालय द्वारा इस प्रकार ब्याज दिलाया जा सकता हो भले ही आज्ञप्ति पारित करने वाले न्यायालय द्वारा उसे नहीं दिलाया गया हो। इसके विपरीत इस न्यायालय द्वारा रामेश्वर दास गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [(1996)5 एस सी सी 728] में यह निर्णित किया गया कि इस प्रकार का ब्याज दिलाया जाना संभव नहीं हैं। न्यायालय ने यह कहा किः

> "यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि निष्पादन न्यायालय निष्पादन कार्यवाही के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री से परे नहीं जा सकता। उसे केवल दीवानी प्रक्रिया

संहिता के आदेश 21 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसरण में आदेश की क्रियान्विति का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इस तथ्य के प्रकाश में कि यह एक धन प्राप्ति का दावा है, जिसमें सेवा विधि की अनुपालना में उसके पदोन्नति लाभ की गणना वेतन, ग्रेच्यूटी (उपदान) तथा पेंशन की बकाया की गणना की जानी है। उक्त की गणना की जा चुकी है तथा न्यायालय ने डिक्री धारक को राशि रूपया 1,97,000/- का अधिकारी निर्णित किया है, साथ ही यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या निष्पादन न्यायालय भुगतान में देरी या निष्पादन कार्यवाही में उठाये गये अयुक्तियुक्त आधार पर सीमा से आगे बढते हुए ऐसे ब्याज की डिक्री दे सकता हैं जो कि निष्पादन योग्य डिक्री का भाग ही नहीं हो।

हमारे मत में, निष्पादन न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है तथा आदेश क्षेत्राधिकार से परे है, अतः यह एक शून्य/अमान्य आदेश है।"

5. हमारा ध्यान विचारण न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उद्धृत निर्णय पंजाब राज्य बनाम राधाराम व अन्य [1990(2) एस एल आर 588] पर

निर्भर किया गया हैं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत लिया हैं कि यदि डिक्री ब्याज के बारे में उल्लेख नहीं करती फिर भी निष्पादन न्यायालय उसे, धनवसूली के वाद की दशा में, दिलवा सकता हैं। इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारान राधाराम बनाम नगरपालिका समिति बरनाला [1983 पी एल आर 21] के मध्य पूर्ण पीठ के फैसले पर निर्भर किया था। उक्त निर्णय में से तीन पेराग्राफ को उद्धृत किया गया। उक्त तीनों पेराग्राफ केवल व्यक्ति के वेतन व भत्ते की बकाया को प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं, जिसकी बर्खास्तगी को अपास्त किया जा चुका है। तीनों पेराग्राफ से इतना तो यह दिखाई नहीं देता कि पूर्ण पीठ ने किसी भी प्रकार से यह निर्णय किया हो कि जहाँ डिक्री द्वारा ब्याज नहीं दिलाया गया हो, फिर भी निष्पादन न्यायालय को ब्याज दिलाने की शक्ति प्राप्त हो। जैसा भी हो, विद्वान एकल न्यायाधीश ने तीनों पेराग्राफ को पेरा 6 में उद्धृत करने के बाद कहा कि निष्पादन न्यायालय को, पिछली परिलब्धियों की राहत की गणना करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 34 के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी एवं ब्याज दिलाये जाने की स्थिति में होगा। हमारी राय में यह पूर्ण पीठ के फैसले का या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा विश्वास/निर्भर किये गये कृष्ण मुरारी लाल सहगल बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1977 एस सी 1233 मामले का भी उचित अर्थ नहीं हो

सकता। निर्णय में उपरोक्त उद्धृत तीन पेराग्राफ से पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि -

> "एक बार जब बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की राहत दे दी गई हैं या उसी प्रभाव की घोषणात्मक डिक्री पारित की जा चुकी है, यह आवश्यक रूप से माना जावेगा कि कर्मचारी कानून की नजर में सेवा में हैं तथा आवश्यक नतीजेस्वरूप उस प्रास्थिति से उत्पन्न समस्त परिलब्धियों का भी हकदार है।"

हमने उपरोक्त वर्णित निर्णय को भी कृष्ण मुरारी लाल के मामले (सुप्रा) में देखा जिस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्भर किया गया। हम उक्त निर्णय में ऐसी किसी परिस्थिति को नहीं पाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय, यद्यपि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त वर्णित निर्णय पर निर्भर करने/विश्वास करने में न्यायोचित था, परन्तु उक्त निर्णय स्वयंमेव विधि का सही ज्ञान नहीं देता। उक्त प्रकार से विचारण न्यायालय का आदेश स्पष्ट एवं प्रत्यक्षतः गलत था तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में उसे पुष्ट करने का आदेश भी गलत था और इसी कारण से इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.8.2003 से उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है।

6. इस आदेश में यह भी कथन किया गया है कि माैजूदा आवेदन - प्रत्यर्थी बीमारी के कारण सुनवाई के समय उपस्थित नहीं रह सका। हालांकि यह शिकायत की गई कि उसे नहीं सुना गया और निर्णय उसकी पीठ पीछे दिया गया। आवेदक - प्रत्यर्थी को विस्तारपूर्वक सुना गया। हमारी राय में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2003 को पारित किये गये आदेश का हमारे द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना कतई आवश्यक नहीं है और हम उस आदेश को यथावत रखते हैं।

7. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए आवेदक - प्रत्यर्थी द्वारा दायर अन्तर्वर्ती आवेदन खारिज किया जाता है। हालांकि चूँकि आवेदक - प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है, अतः खर्चे संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया।

अन्तर्वर्ती आवेदन खारिज किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित दवे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।